एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू०ए० क्रमांक 274/2021

- डॉक्टर खुर्शीद खान पिता अताउल्लाह खान

  उम्र लगभग 50 वर्ष, साकिन तुर्रापारा वार्ड

  क्रमांक 04 धरमजयगढ़, जिला रायगढ़

  छत्तीसगढ़

-------------- **अपीलार्थी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय

   राजधानी परिसर, महानदी भवन, अटल नगर,

   नया रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०)

2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना अनुसूचित जनजाति

   कल्याण (अजाक) रायगढ़, छत्तीसगढ़

3. चारमति पति घरसाय, उम्र लगभग 56 वर्ष

   निवासी ग्राम खम्हार, पुलिस थाना एवं तहसील

   धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ०ग०)

------------**उत्तरदाता**

अपीलार्थी द्वारा : अधिवक्ता श्री बी०पी० शर्मा एवं अधिवक्ता तृशना दास

राज्य द्वारा : उप० शासकीय अधिवक्ता श्री गगन तिवारी

उत्तरवादी क्रमांक 03 द्वारा : अधिवक्ता श्री हरि अग्रवाल

खण्डपीठ :- माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर

सी०ए०वी० आदेश

05/10/2021

स्वीकृति पर सुना गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-08-2021 के विरूद्ध दायर किया गया है । न्यायिक आदेश के विरूद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) जारी करने की प्रार्थना का अनुच्छेद 226 के तहत स्थिरता के संबंध में आपत्ती को स्वीकार किया गया है तथा याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह प्रार्थना खण्ड में संशोधन कर उत्प्रेषण (Certiorari) जारी करने की प्रार्थना को विलोपित करें ।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **राधेश्याम एवं अन्य वि० छबिनाथ एवं अन्य, (2015) 5 एससीसी 423** पर गलत रूप से निर्भरता रखी है, क्योंकि उक्त निर्णय भिन्न है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उक्त निर्णय इस विधिक सिद्धांत पर है कि सिविल न्यायालय के

आदेश के विरूद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) की रिटयाचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नहीं होगी, जबकि वर्तमान प्रकरण में आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है तथा उत्प्रेषण (Certiorari) के रिट की प्रार्थना की गई है ।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है और अपीलार्थी द्वारा यह चुनौती दी गई है कि उक्त आदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, अतः उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट उपलब्ध रहेगा । अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्प्रेषण (Certiorari) के रिट एवं पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग, दोनों की प्रार्थना की गई है, अतः आपत्ती निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि याचिका अन्यथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत भी ग्राहय है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रस्तुतिकरण कि न्याय दृष्टांत **राधेश्याम (सुप्रा)** में निर्धारित सिद्धांत उन प्रकरणों पर लागू नहीं होंगे जिनमें आदेश आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित किया गया है तथा जब व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है तब ही लागू होंगे, उक्त न्याय दृष्टांत में किये गये उल्लेख के आलोक में स्वीकार योग्य नहीं है, जिसके प्राशंगिक भाग को आगे संदर्भित किया गया है ।

राधेश्याम (सुप्रा) में माननीय उच्चत्तम न्यायालय की बड़ी खण्डपीठ द्वारा **सूर्यादेवी राय वि० रामचंदर राय, (2003) 6 एससीसी 675** में पारित कानून की वैधता के संबंध में विचार किया गया । इसमें सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) की रिट जारी करने की याचिका की वैधता का विषय शामिल था ।

विशेषाधिकार रिटस, संवैधानिक प्रावधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के इतिहास का पता लगाते समय, माननीय न्यायमूर्तिगण द्वारा कथित है-

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभिव्यक्ति "न्यायिक कार्य" सिविल न्यायालयों के न्यायिक आदेशों को संदर्भित करने हेतु नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष उद्भूत प्रकरण निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न हुआ है तथा इस न्यायालय का **सूर्या देव राय (सुप्रा)** को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यक्ष निर्णय हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जहॉ उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट किसी न्यायिक न्यायालय के आदेश के विरूद्ध जारी किया गया हो । जबकि बाद के निर्णयों में क्षेत्राधिकार के दायरे के संबंध में प्रश्न उठने पर यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अधिकारियों एवं न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अर्ध-न्यायिक आदेशों से भिन्न आधार पर स्थित है ।

5. उपरोक्त अवलोकन केवल सिविल न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों तक ही सिमित नहीं है किन्तु माननीय न्यायमूर्तिगण द्वारा न्यायिक न्यायालयों को संदर्भित किया गया है । आगे यह भी कथित है कि-

"16. न्यायिक आदेश के विरूद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) के रिट के प्रश्न के संबंध में इंग्लैण्ड के विधिक स्थिति पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया । यह देखते हुए कि उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट न्यायिक आदेश के विरूद्ध नहीं होता **नरेन्द्र श्रीधर मिराजकर वि० महाराष्ट्र राज्य ए०आई०आर० 1967 एससी 1** में कथित है कि-

"63. जब हम इस मामले के इस पहलू पर विचार कर रहे है हम संयोग से इस बिन्दू पर हालसबरी द्वारा दी गई प्राशंगिक टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं । हालसबरी द्वारा फूटनोट में "सिविल क्षेत्राधिकार की नीचली अदालतो के निर्णयों में" कथित है कि-

"यह सुझाव दिया गया है कि क्षेत्राधिकार के अभाव में उत्प्रेषण (Certiorari) उन्हें रद करने के लिए दिया जा सकता है (केम्प वि० बालने (1844), 1 डाउ० एवं एल० 885, पृष्ठ० 887), क्योंकि उक्त आधार पर कोई त्रुटि नहीं थी । किन्तु ऐसा कोई भी प्रकाशित मामला नहीं है जिसमें किसी सिविल क्षेत्राधिकार के नीचली अदालत के निर्णय को उत्प्रेषण (Certiorari) द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव में या किसी अन्य आधार पर रद किया गया हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(हालसबरी लॉ ऑफ इंग्लैण्ड वाल्यूम I 1, पृष्ठ 129)" । अंतिम प्रस्ताव में निर्धारित है कि " सिविल क्षेत्राधिकार के नीचली अदालतों के निर्णयों को रद करने हेतु उत्प्रेषण (Certiorari) प्रयुक्त नहीं होता" उक्त अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि इंग्लैण्ड में पूर्ण क्षेत्राधिकार वालें सिविल न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक आदेशों में तथा उन मामलों में जो उनके समक्ष लाये गये है उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

"64. आर वि० चांसलर सेंट एडमंडसबरी एवं इप्सविच डीओसिस, एक्स पी व्हाईट [(1945) 1 केबीडी 195] में यह प्रश्न उठा कि क्या उत्प्रेषण (Certiorari) राजा के न्यायालय के बेंच से किसी धार्मिक न्यायालय के फैसले की समीक्षा हेतु जारी किया जा सकता है और इसका उत्तर यह दिया गया कि किसी धार्मिक न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) लागू नहीं होगा । उक्त प्रश्न का विचारण करते हुए रोटसेलीय एल०जे० द्वारा विस्तार में रिट क्षेत्राधिकार के इतिहास पर विचार किया गया तथा इस प्रश्न पर विचार किया गया कि "निम्न" शब्द का अर्थ क्या होगा जब वह इंग्लैण्ड के कानून के अदालतों पर उनके निर्णयों के विरूद्ध रिट जारी करने की समस्या पर विचार करने के दौरान लागू किया जावेगा । रोटसेलीय एल०जे० द्वारा कथित है कि:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"............. " निम्न" शब्द जब इंग्लैण्ड की कानून की अदालतों पर लागू किया जावेगा तो वह दो भिन्न अर्थों पर इस्तेमाल होगा । जब प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नगत न्यायालय को प्रोहिबिशन रिट के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से अधिक बढ़ने पर राजा के बेंच द्वारा रोका जा सकता है तो "निम्न" न्यायालय के अंतर्गत न सिर्फ धार्मिक न्यायालय किन्तु पैलेटाईन न्यायालय, नौसैनिक न्यायालय भी आयेंगे । किन्तु एक और परीक्षा है जिसे वकीलों द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है जिससे एक अवर न्यायालय को उससे ऊपर के न्यायालय से अलग किया जा सकता है । जब उसकी कार्यवाही से और विशेषकर उसके निर्णयों से यह दर्शित हो की न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य कर रहा है तो यह एक "निम्न" न्यायालय की विशेषता है । जबकि एक वरिष्ठ न्यायालय की कार्यवाही में यह माना जावेगा कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया है जब तक की इसके विपरीत कार्यवाही या प्रमाण न दिखायी दे ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री सेन द्वारा उक्त निर्णय का आधार लेते हुए यह दिखाया गया है कि अनुच्छेद 32 (2) के अंतर्गत चुनौती दिये गये आदेश के विरूद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट जारी करने हेतु बाम्बे उच्च न्यायालय को भी निम्न न्यायालय माना जा सकता है । हम यह नहीं देख पा रहे है कि उक्त निर्णय किस प्रकार से श्री सेन की दलील का समर्थन करता है ।"

6. स्थिति को निम्न अनुसार और स्पष्ट किया गया है-

"18. जबकि उपरोक्त निर्णय इस प्रश्न पर है कि क्या न्यायिक आदेश मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि न्यायिक आदेशों को चुनौती अपील या पुनरीक्षण या अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दी जा सकती है तथा अनुच्छेद 226 एवं 32 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती ।"

7. हालंकि तथ्यों में, राधे श्याम का मामला इस बात से संबंधित था कि क्या सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका की जा सकती है, किन्तु उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का आधार बहुत व्यापक है । यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट किसी न्यायिक न्यायालय के आदेश के विरूद्ध नहीं होगा । अतः चाहे आदेश किसी व्यवहार न्यायालय या आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण (Certiorari) जारी किये जाने हेतु रिट याचिका नहीं की जा सकती ।

8. जहाँ तक दूसरी दलील है कि किसी न्यायालय के आदेश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है क्योंकि उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन शामिल हो सकता है तो यह माननीय न्यायमूर्तिगण द्वारा **राधे श्याम (सुप्रा)** में पूर्व निर्णयों का आधार लेते हुए उत्तर निम्न अनुसार दिया गया-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **उज्ञम बाई वि० उत्तरप्रदेश राज्य ए०आई०आर० 1962 एससी 1621** का मामला सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था कि उत्प्रेषण (Certiorari) रिट का दायरा आंकलन आदेश जो कि बिक्री कर कानून के प्रावधानों के अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन में पारित किया गया है पर कितना है । छः न्यायाधीशों की बहुमत ने यह माना कि जब तक आदेश किसी 'शून्य कानून' या 'अधिकार क्षेत्र से परे' (Ultra Vireas) या 'बिना अधिकार क्षेत्र' का आदेश नहीं है तब तक किसी अर्ध न्यायिक आदेश या वैधानिक प्राधिकरण के आदेश को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती । हालंकि एक स्पष्टता गलत आदेश के विरूद्ध अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण (Certiorari) जारी हो सकती है । यह देखा गया कि न्यायालयों के न्यायिक आदेश अलग आधार पर हैं । न्यायमूर्ति अय्यंगार द्वारा देखा गया कि:

"155. समापन के पूर्व यह आवश्यक है कि एक मामले में विचार किया जावे जो कि तर्क के दौरान कहा गया था, जो कि वास्तव में उत्पन्न होने पर विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, और वह इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या किसी नियमित साधारण न्यायालय का निर्णय या आदेश जो कि किसी न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जो किसी विशेष विधि के तहत गठित किया गया है से भिन्न है पर मौलिक अधिकारो का उल्लंघन करने हेतु शिकायत की जा सकती है यह एक हितकारी सिद्धांत है कि इस न्यायालय

को उन बिन्दूओं पर कोई उच्चारण नहीं देना चाहिए जिसके संबंध में प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाये गये हैं और यही कारण है कि मैं पूर्ण रूप से इस पर कोई निर्णय या मत नहीं दे रहा हूॅ । हालंकि उक्त दोनों चीजें न करते हुए मैं निम्न टिप्पणियां करना उचित मानता हूॅ । एक कानून के न्यायालय द्वारा अपने सामने प्रस्तुत मामले में पक्षकारों के अधिकार का निराकरण करने में तथा उच्च न्यायालय में कोई तात्विक समानता नहीं है तथा इस न्यायालय को यह जांच करना है कि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा यह उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की शक्तियों से निहित है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण किसी विशेष विधि के तहत बनाये जाते हैं ताकि उस विधि के प्रावधानों को लागू एवं प्रशासित कर सकें । मैं इस विषय को यही पर समाप्त करने में संतुष्ट रहूंगा" ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मिराजकर (सुप्रा) में नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायिक आदेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई थी । इस न्यायालय द्वारा बहुमत से यह निर्धारित किया गया कि एक सक्षम अदालत का न्यायिक आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता । यहॉ तक कि यदि आकास्मिक उल्लंघन हुआ हो तो भी उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता । मुख्य न्यायमूर्ति गजेन्द्र गढ़कर द्वारा देखा गया कि:

"38. यह तर्क कि चुनौती दिया गया आदेश याचिकाकर्ताओं के अनुच्छेद 19 (1) के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, वह न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायिक निर्णयों के वास्तविक प्रकृति एवं चरित्र के संबंध में पूर्णतः गलत धारणा पर आधारित है । जब कोई न्यायाधीश अपने समक्ष प्रस्तुत मामले में निराकरण करता है तो वह सर्वप्रथम तथ्यात्मक प्रश्नों का निर्धारण करता है जिनमें पक्षकारों के मध्य विवाद है और इसके बाद वह उन तथ्यों पर संबंधित कानून को लागू करता है । न्यायाधीश द्वारा उक्त तथ्यों पर दिया गया निराकरण सही है या गलत तथा उसके द्वारा पहुंचा गया कानूनी निष्कर्ष में कोई दुर्बलता है, को विचार में लिया जाकर उस पर निर्णय दिया जा सकता है जब उक्त न्यायाधीश के निर्णय से व्यथीत पक्षकार उक्त मामले को अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा । किन्तु यह मानना अत्यंत अनुचित है कि सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधीश द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत मामले में पारित निर्णय किसी नागरिक के अनुच्छेद 19 (1) के तहत दिये मौलिक अधिकार को प्रभावित कर सकता है । न्यायिक निर्णय का उद्देश्य मात्र पक्षकारों के मध्य हुए विवाद का निराकरण करता है और इससे अधिक कुछ भी नहीं । यदि न्यायिक प्रक्रिया की इस बुनियादी एवं आवश्यक पहलू को ध्यान में रखा जावे तो यह स्पष्ट होगा कि न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत किसी मामले में दिया गया न्यायिक निर्णय नागरिकों को अनुच्छेद 19 (1) के तहत दिये मौलिक अधिकारों को प्रभावित करना नहीं कहा जा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39........ जैसा कि गुणदोष के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश को केवल अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है तथा वह पक्षकारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता तो क्या चुनौती दिये गये आदेश को संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत की गई अपील में चुनौती दी जा सकती है किन्तु उसे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता । न्यायिक आदेश का स्वरूप वही रहता है चाहे वह पक्षकारों के बीच हुए किसी मुद्दे में सीधे पारित किया गया हो या पक्षकारों के मध्य हुए विवाद को निष्पक्ष एवं प्रभावी बनाने हेतु संयोगवश पारित किया गया हो । इस दृष्टिकोण से हमे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनौती दिये गये आदेश पर किया गया यह पूरा आक्रमण जो कि इस धारणा पर है कि चुनौतीगत आदेश याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 19 (1) में दिये गये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है विफल होना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. यह सत्य है कि ए०के० गोपालन [1950 एससीआर 88] के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति कनिका द्वारा व्यक्त की गई है राय को उक्त मामले में सुनवाई करने वाले अन्य विद्वान न्यायाधीशगण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया । हालंकि इसके बाद राम सिंह वि० दिल्ली राज्य [1951 एससीआर 451] में उक्त टिप्पणियों को फूल कोर्ट द्वारा अनुमोदित करते हुए उल्लेखित किया गया । इसी सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा एक्सप्रेस न्यूज पेपर (प्राइवेट) लिमिटेड वि० भारत संघ [1959 एससीआर 12] में स्वीकार किया गया है तथा बहुमत

जजमेंट द्वारा अतियाबारी टी कंपनी लिमिटेड वि० असम राज्य [1961 (1) एससीआर 809] में भी स्वीकार किया गया ।"

14. मिराजकर के मामले में पूर्व निर्णयों- बुधन चौधरी वि० बिहार राज्य [एआईआर 1955 एससी 191], परभानी ट्रांसपोर्ट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड वि० रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑथारिटी [एआईआर 1960 एससी 801] में दी गई टिप्पणियों का व्याख्यान करते हुए कि न्यायिक आदेश अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है यह देखा गया कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"46. स्वाभाविक रूप से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विवाद यह था कि धारा 30 दण्ड प्रकिया संहिता अनुच्छेद 14 द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस कारण उक्त धारा अमान्य है । इस तर्क को न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । फिर विकल्प के रूप में अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि यद्यपि उक्त धारा स्वयं में भेदभाव पूर्ण नहीं है किन्तु उसका दूर्पयोग किया जा सकता है उन व्यक्तियों के मध्य भेदभाव करने के लिए जिन पर एक ही प्रकार के अपराध का आरोप है, पुलिस धारा 366 का अपराध आरोपित हुए आरोपी को धारा 30 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज सकती है तथा उसी धारा के अंतर्गत आरोपित अन्य व्यक्ति को दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष जो उस आरोपी का उपार्पण सत्र न्यायालय के समक्ष कर दे । इस वैकल्पिक तर्क की जांच की गई तथा इसे भी निरस्त किया गया । अतः संयोगवश यह प्रश्न उठता है कि क्या न्यायिक निर्णय अनुच्छेद 14 का

उल्लंघन कर सकता है न्यायमूर्ति एस० आर० दास जिनके द्वारा इस तर्क पर विचारण कर न्यायालय की तरफ से बोला गया द्वारा यूनाईटेड स्टेट के उच्चत्तम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्टोन एवं न्यायमूर्ति फ्रेंकफर्टर द्वारा यूनाईटेड स्टेट स्नोडेन वि० ह्यूग [(1944) 321 यूएस 1] में दी गई टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया तथा यह देखा गया कि कोई न्यायिक निर्णय आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा जो सतही तौर कानून का असमान प्रयोग प्रतीत होता है वह जरूरी नहीं है कि कानून के समान संरक्षण से इंकार करें जब तक की इसमें जानबुझकर और उद्देश्यपूर्ण भेदभाव का तत्व मौजूद न दिखायी दे । उक्त अवलोकन करने के बाद जो अधिकतम यह माना जा सकता है कि न्यायिक निर्णय अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह जोड़ने की सावधानी बरती गई कि न्यायिक अधिकारियों का विवेक मनमाना नहीं है और कानून अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का ऊपरी अदालतों द्वारा पुनरीक्षण का प्रावधान रखता है । ऐसी स्थिति में न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा कोई मनमाना भेदभाव करना कहने के लिए कोई आधार नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति फ्रेंकफर्टर एवं मुख्य न्यायाधीश स्टोन द्वारा स्नोडेन वि० ह्यूग 88 एल इ डी 497 में दी गई टिप्पणियों अनुमोदन सहित उल्लेखित किया गया, यह प्रश्न कि क्या एक न्यायिक आदेश अनुच्छेद 32 (1) (2) के अंतर्गत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार

को आकर्षित करता है का तर्क किया गया और न ही उस पर विचार किया गया । यह प्रश्न केवल संयोग से यह तय करने के लिए प्रशांगिक हो गया कि क्या बुधन चौधरी (सुप्रा) के मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दिये गये दोषसिद्धी की वैधता को इस आधार पर सफलता पूर्वक चुनौती दी जा सकती है कि धारा 30 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायिक निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध मनमाने ढंग से दिया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संबंध में इस न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार का दायरा था या नहीं इसकी जांच नहीं की जा सकती थी क्योंकि मामला इस न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 132 (1) के अंतर्गत अपील में प्रस्तुत किया गया था और न्यायिक निर्णय को किसी मौलिक अधिकार को प्रभावित करना कहा जा सकता है अथवा नहीं केवल इस आधार पर कि उक्त निर्णय संयोगवश एवं अप्रत्यक्ष रूप से उक्त अधिकार पर अतिक्रमण कर सकता है इस कारण उस मामले में विचार या निर्णय नहीं लिया गया । वास्तव में निर्णय की समापन टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि न्यायालय का यह मत था कि यदि कोई न्यायिक निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वह अनुच्छेद 14 से असंगत है, तो ऐसे आदेश को चुनौती देने का उचित उपाय अपील या पुनरीक्षण होगा जो कानून द्वारा प्रदान किया गया है । अतः हम श्री सेतलवार्ड की इस उपधारणा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालयों द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णयों को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं । संयोग से यह बताया जा सकता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यूनाईटेड स्टेटस उच्चत्तम न्यायालय द्वारा स्नोडेन वि० ह्यूग (सुप्रा) में दिया गया निर्णय स्वयं से किसी न्यायिक निर्णय की वैधता से संबंधित नहीं था ।

48. दूसरी ओर, परभानी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, औरंगाबाद ए०आई०आर० 1960 एससी 801 में न्यायूमर्ति सरकार द्वारा न्यायालय की ओर से यह कथित है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का निर्णय जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है वह सही व गलत हो सकता है किन्तु वह यह देखने में असमर्थ है कि उक्त निर्णय किस प्रकार याचिकाकर्ता की अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार या अन्य किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है । विद्वान न्यायाधीश द्वारा आगे कथित है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था और यदि उसके द्वारा अपने निर्णय में कोई गलती की गई है तो याचिकाकर्ता के पास प्रतितोष प्राप्त करने के लिए उचित उपाय उपलब्ध हैं । वह अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता । यह सच है कि इस मामले में भी अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों से अनुच्छेद 14 प्रभावित करना कहा जा सकता है अथवा नहीं, के बड़े प्रश्न पर पूरी तौर से तर्क नहीं किया गया है । यह स्पष्ट है कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यह सुझाव देना अनुचित होगा कि न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णय को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना जा सकता है । कोई निर्णय सही या गलत हो सकता है तथा यदि कोई निर्णय गलत होता है तो वह अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा पुनरीक्षण में सही किया जा सकता है जैसा कि कानून द्वारा दिया गया है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है । यह महत्वपूर्ण है कि उक्त टिप्पणिया परभानी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका सुनते वक्त की गई तथा जहॉ तक उक्त बिन्दू पर विचार कर निर्णय लिया गया है वह श्री सेतलवार्ड की दलील के विरूद्ध है ।"

अतः इस आधार पर किया गया तर्क कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है कानूनी रूप से उचित नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा **रमेश कुमार रवि (रामप्रसाद) वि० बिहार राज्य एवं अन्य ए० आई० आर० 1988 पटना 199** में **मिराजकर** (सुप्रा) के मामले में निर्धारित सिद्धांतो को लागू करते हुए कथित है कि उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट आपराधिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध नहीं होगा । यह निर्धारित किया गया कि-

"31. पुनः मिराजकर (ए० आई० आर० 1967 एससी 1) (सुप्रा) के मामले में यह तर्क किया गया कि बाम्बे उच्च न्यायालय का आदेश जो कार्यवाही को प्रकाशित करने से निषेधित करता है, न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद से संबंधित नहीं था तथा इस प्रकार उनके समक्ष प्रस्तुत विवाद का न्यायिक निर्णय नहीं था । माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा स्पष्ट

यह मत लिया गया है कि इस प्रकार का आदेश न्यायिक प्रकृति का है क्योंकि वह न्याय के हित को बढ़ाने के लिए न्यायालय द्वारा अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था । परिणाम स्वरूप इस प्रकार का आदेश जिसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी गई हो वह रिट क्षेत्राधिकार हेतु उत्तरदायी नहीं माना गया है वर्तमान मामले में इस प्रकार की कोई दोष नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार से विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का आदेश जिसे वह पारित करने हेतु सक्षम थे जिसे उनके द्वारा अनुदान के मुद्दे पर या याचिकाकर्ता की जमानत के मुद्दे पर स्पष्ट था इस संहिता के अंतर्गत एक न्यायिक आदेश था । यह सामान रूप से सच होगा [विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश हेतु (परिशिष्ट 05)] यदि मिराजकर के मामले में पारित मुख्य सिद्धांत यह है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध कोई रिट नहीं किया जा सकता तो स्पष्ट रूप से न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सत्र न्यायालयों द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय पूर्ण रूप से उत्प्रेषण (Certiorari) रिट के दायरे से बाहर होंगे तथा केवल अपील पुनरीक्षण या उच्च न्यायालय के धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होंगे और इसके उपरांत उच्चत्तम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों को विशेष अनुमति याचिका के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहॉ तक अंतिम प्रस्तुति का संबंध है विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन उपरांत, हम यह नहीं पाते कि याचिकाकर्ता को वाद अयोग्य ठहराया गया है । उसे निर्देशित किया गया है कि वह प्रार्थना

खण्ड में संशोधन कर लेवे । उन्हें केवल यह निर्देशित किया गया था कि वे उत्प्रेषण (Certiorari) का रिट जारी करने की प्रार्थना को विलोपित कर दें, इसके उपरांत अन्य कोई निर्देश नहीं दिया गया था । याचिकाकर्ता द्वारा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार भी लागू करने का अनुरोध किया है । इस आदेश का प्रभाव यह होगा कि आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दी गई चुनौती की जांच भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगी तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका द्वारा नहीं होगी ।

11. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, अपील खारिज की जाती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

सही/-
(विमला सिंह कपूर)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur